न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 01/2026
ऑनलाईन नंबर 2026/2

निर्णय दिनांकः 07.04.2026

कृष्णा उम्र–25 साल नाबालिक पुत्री राकेश, जाति–नाई, जरिये अपनी प्राकृतिक संरक्षक माता संजूदेवी पत्नी राकेश जाति–नाई, निवासी–लिखमीसर दिखणादा, तहसील श्रीडूंगरगढ

–प्रार्थी–

बनाम

1.राकेश पुत्र भागीरथ, जाति–नाई निवासी–लिखमीसर दिखणादा तहसील– श्रीडूंगरगढ, जिला–बीकानेर 2.किरण पत्नी भागीरथ, जाति–नाई निवासी–लिखमीसर दिखणादा, तहसील–श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर 3.जितेन्द्र पुत्र भागीरथ, जरिये सरंक्षक माता किरण देवी पत्नी भागीरथ जाति– नाई निवासी– लिखमीसर दिखणादा तहसील– श्रीडूंगरगढ , जिला बीकानेर 4. प्रिती पुत्री भागीरथ, जाति – नाई निवासी– लिखमीसर दिखणादा, तहसील श्रीडूंगरगढ जिला– बीकानेर 5. विमला पुत्री भागीरथ, जाति– नाई, निवासी– लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर 6. सरिता पुत्री भागीरथ, जाति– नाई, निवासी– लिखमीसर दिखणादा, तहसील श्रीडूंगरगढ, जिला– बीकानेर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री के. के पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 151 सी.पी.सी.

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है इस प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी को बादी व अप्रार्थीगण को प्रतिवादीगण से सम्बोधन किया गया है । वादीनी के दादा भागीरथ पुत्र चौखाराम, जाति – नाई, निवासी– लिखमीसर दिखणादा की खातेदारी का वादगत खेत खसरा नं. 717/79 तादादी 8.85 हैक्टेयर वाके रोही लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है। वादीनी के दादा भागीरथ का देहांत हो चुका है। वादीनी के दादा भागीरथ का निर्वसियत देहांत हो गया । भागीरथजी का देहांत होते ही यह खेत हिन्दू परिवार की अविभाजित संपति हो गई और वादीनी का इस पैतृक खेत मे 1/12 हिस्सा भागीरथ की पौतीव राकेश की पुत्री होने से हिस्सा बनता है। भागीरथजी का देहांत होने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड मे प्रतिवादी सं. 1 से 6 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया, जबकी कानूनन इस पैतृक संपति मे वादीनी का भी 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। कानूनन वादीनी अपने इस पैतृक खेत मे अपना 1/12 हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारीणी है । प्रतिवादीगण वादीनी को हक व हिस्से से वंचित कर देना चाहते है, जबकि वादगत खेत पक्षकारो का पैतृक खेत है और इस खेत मे वादीनी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है । दिनांक 30.12.2025 को वादीनी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया की वो वादगत खेत मे वादीनी का नाम बतौर सयुंक्त खातेदार रेवेन्यू रिकॉर्ड मे दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये और वादीनी को धमकीया दी की अब हम इस खेत को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करके तुम्हे तुम्हारे हक व हिस्से से वंचित कर देगे । वादगत खेत पैतृक खेत है जो अभी तक अविभाजित है । वादीनी स्व. भागीरथजी की पौती होने से इस खेत मे 1/12 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थीनी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है । अप्रार्थीगण अगर इस खेत को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी व असुविधा होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से वर्जित फरमाया जावें की वो वादगत खेत को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण नही करे तथा ऐसा कोई कृत्य नही कर, जिससे वादीनी के हिस्से पर विपरित असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि वादगत खेत भूमि पैतृक स्वरूप की है एवं प्रार्थिनी स्व. भागीरथजी की पौती होने से इस खेत में 1/12 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है। जिसका अंतिम निर्धारण मूल वाद के निस्तारण व पूर्ण साक्ष्य के उपरान्त ही संभव है। अतः न्यायालय का यह मत है कि न्याय के हित में वादगत खेत में प्रार्थिनी के पिता राकेश (अप्रार्थी संख्या 1) के हिस्से की भूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थिनी के पिता राकेश (अप्रार्थी संख्या 1) के हिस्से की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है एवं और विचाराधीन वाद के दौरान इस भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है, तो इससे न केवल विधिक जटिलताएँ और वाद–बाहुल्यता बढ़ेगी, बल्कि प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई संभव नहीं होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों आधारभूत कानूनी सिद्धांत प्रार्थिनी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि तक सिद्ध पाए जाते हैं। तद्नुसार, प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 717/79 तादादी 8.85 हैक्टेयर वाकेरोही लिखमीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक की भूमि पर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)